तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भगवतसिंह भाटी बनाम लो.सू.अ. (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 139 / 2020	
28.09.20	अपीलार्थी भगवतसिंह भाटी, पता 223, जेडएसबी, बी.जे.एस. जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.07..20 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत चिड़वाई में जनता जल योजना नलकूपों (टयूब वेल) व पम्प चालकों व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला परिषद जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) से जरिये पत्रांक 9459 दिनांक 18.09.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना विकास अधिकारी, पंचायत समिति बालेसर से संबंधित होने के कारण प्रार्थना पत्र मूल ही सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत विकास अधिकारी पंचायत समिति बालेसर को स्थानान्तरित कर निर्देश दिये गये कि चाही गई प्रार्थी को अविलम्ब उपलब्ध करावे तथा अधिनियम में सूचना देय नहीं है तो विधिक कारणों से अवगत करवाया जाय। प्रार्थी को सूचनार्थ पत्र भी जारी किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी (कार्यालय जिला परिषद जोधपुर) द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति बालेसर को स्थानान्तरित कर दिया गया तथा विकास अधिकारी पं.स. बालेसर का वर्तमान में प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर ही है। दिनांक 21.09.20 को विकास अधिकारी, पं.स. बालेसर की ओर से भजनलाल ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित हुए तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए समय चाहा। आज दिनांक 28.09.20 को विकास अधिकारी, पं.स. बालेसर की ओर से जरिये पत्रांक 1153 दिनांक 24.09.20 के संलग्न दी गई सूचना की फोटो प्रतियां पेश की गई। अपीलार्थी ने भी उपस्थित होकर लिखित में सूचित किया गया कि अपील संख्या 139 / 2020 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आधी अधुरी सूचना प्रमाणित नहीं होने पर मुझ प्रार्थी को उपलब्ध कराने पर सूचना लेने से मना कर दिया है अतः सूचना पूर्ण रूप से प्रमाणित [illegible] का आदेश दिया जाय। विकास अधिकारी, पं.स. बालेसर की रिपोर्ट साथ [illegible] लोक सूचना अधिकारी (ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत चिड़वाई [illegible] जो सूचना दी गई उन पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत [illegible] लगा...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh Ind
Date: 2020.10.20 12:48:03 IST
Reason: SelfAttested

	वाली प्रमाणित प्रति के रूप में न देकर मात्र हस्ताक्षर किये गये अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (विकास अधिकारी, पं.स. बालेसर/ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम प्रचायत चि[illegible], पंचायत समिति बालेसर को निर्देश किया जाता है कि अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधि. के प्रावधानों के तहत दी जाने वाली सूचना की प्रमाणित प्रति के रूप में 15 दिवस में पुनः उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Ve[illegible]
Digitally signed by A[illegible]
Date: 2020.10.20 12[illegible]
Reason: SelfAtteste[illegible]